



## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक:विप0-3/(1741)/2010-

642

दिनांक: 29

अक्टूबर, 2010

समस्त सं0 उपनिदेशक(प्रशा0/विप0),

मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

विषय:-मण्डी आवक किसान उपहार योजना में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद, मुख्यालय के पत्रांक:विप0/ कृ0उ0यो0 /1741/2001-257 दिनांक:28.02.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-15/12-5-2001-600(1)/2001, दिनांक:31.01.2001 की प्रति संलग्न करते हुए मण्डी आवक किसान उपहार योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है, प्रश्नगत शासनादेश में योजना हेतु पात्रता के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था की गयी थी कि "योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के स्थायी निवासी होंगे।"


शासनादेश दिनांक:31.01.2001 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित उक्त शर्त को शासनादेश संख्या-1487/80-1-2010-600(1)/2001 दिनांक:15.10.2010 द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

"योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र का स्थाई निवासी होगा।"

परन्तु प्रश्नगत योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो इस हेतु किसान बही/अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की अनिवार्यता रख ली जाए।

अतएव शासनादेश दिनांक:15.10.2010 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने सम्भाग के समस्त सचिवों को निर्देशित करते हुए शासनादेशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

  
(राजेश कुमार सिंह)  
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मण्डी निदेशक



## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक:विप0-3/(1741)/2010- 642

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2010

समस्त सं० उपनिदेशक(प्रशा०/विप०),

मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

विषय:—मण्डी आवक किसान उपहार योजना में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद, मुख्यालय के पत्रांक:विप०/ कृ०उ०यो० /1741/2001-257 दिनांक:28.02.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-15/12-5-2001-600(1)/2001, दिनांक:31.01.2001 की प्रति संलग्न करते हुए मण्डी आवक किसान उपहार योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है, प्रश्नगत शासनादेश में योजना हेतु पात्रता के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था की गयी थी कि "योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के स्थायी निवासी होंगे।"

शासनादेश दिनांक:31.01.2001 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित उक्त शर्त को शासनादेश संख्या-1487/80-1-2010-600(1)/2001 दिनांक:15.10.2010 द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया है:—

"योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र का स्थाई निवासी होगा।"

परन्तु प्रश्नगत योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो इस हेतु किसान बही/अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की अनिवार्यता रख ली जाए।

अतएव शासनादेश दिनांक:15.10.2010 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने सम्भाग के समस्त सचिवों को निर्देशित करते हुए शासनादेशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


संलग्नक—यथोपरि।

( राजेश कुमार सिंह )

मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
मण्डी निदेशक 29.10.2010

प्रिषक,

राजेश कुमार सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

1940  
19.10.10

सेवा में,  
निदेशक,  
मण्डी परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2010

AD01 विषय: मण्डी आवक किसान उपहार योजना में आंशिक संशोधन के संबंध में।

*[Handwritten signature]*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-विप0-3/1741/2010-456, दिनांक 03-8-2010 का

19.10.10 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

राजेश कुमार सिंह  
निदेशक  
मण्डी परिषद  
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/  
2001-600(1)/2001, दिनांक 31-1-2001 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्त को निम्नवत्  
संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

“योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र  
का स्थाई निवासी होगा।”

DDMM (AL) परन्तु प्रश्नगत योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो इस हेतु किसान बही/अन्य  
प्रासंगिक अभिलेखों की अनिवार्यता रख ली जाए।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधितों को अपने स्तर से  
सूचित करने का कष्ट करें।

19.10.10  
निदेशक  
मण्डी परिषद (प्रशासन)

*[Handwritten signature]*  
भवदीय,  
14.10.10  
(राजेश कुमार सिंह)  
सचिव

1382  
20/10

50(M-3)  
20-10-10  
(अहिबरेन लाल)  
उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)

850  
20/10/10

1285  
23/10